

भारत सरकार  
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 246  
05 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

**इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि**

246. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:  
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:  
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:  
डॉ. सुजय विखे पाटील:  
श्री कृष्णपालसिंह यादव:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने वर्ष 2030 तक 60-70 प्रतिशत इलेक्ट्रिक दोपहिया और 70-75 प्रतिशत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को आरंभ करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई व्यापक कार्यनीति तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत गतिशीलता की ओर इस परिवर्तन को सुकर बनाने के लिए क्या रणनीतियां बनाई गई हैं और प्रोत्साहन दिए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की वर्तमान स्थिति का गहन मूल्यांकन किया है जिसके अंतर्गत मौजूदा अवसंरचना, चार्जिंग नेटवर्क और विनिर्माण क्षमताओं का मूल्यांकन शामिल है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में संभावित बाधाओं और अवसरों की पहचान की गई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) देश में, विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विकास के संदर्भ में, आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और वाहन उत्सर्जन संबंधी मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय आधार पर 2015 में भारत में (हाइब्रिड एवं)

इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम शुरू की। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम का चरण-II दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से लागू किया जा रहा है। यह चरण सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता देने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य सब्सिडी के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच रेंज संबंधी चिंता का निराकरण करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के विनिर्माण हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- i. फेम-इंडिया स्कीम, चरण-II के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं। यह प्रोत्साहन बैटरी क्षमता से जुड़ा हुआ है अर्थात् वाहन की लागत के 15% के साथ ई-दुपहिया के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा और वाहन लागत के 20% के साथ ई-तिपहिया के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा।
- ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को स्वीकृति दी। बैटरी की कीमत कम होने से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।
- iii. इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबिल और ऑटो घटक विषयक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम में शामिल किए गए हैं जिसे 15 सितंबर, 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ स्वीकृति दी गई है।
- iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथ-कर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(ग) और (घ): जी हां, भारी उद्योग मंत्रालय मौजूदा अवसंरचना, चार्जिंग नेटवर्क और विनिर्माण क्षमताओं के मूल्यांकन सहित ई-दुपहिया और ई-तिपहिया का नियमित रूप से मूल्यांकन करता है। साथ ही, विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की कमी को देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि की दिशा में एक प्रमुख समस्या माना गया है। इस समस्या को दूर करने और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण

सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के लिए दिशानिर्देश और मानक जारी किए हैं।

इन दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना और सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन प्रचालकों/स्वामियों और इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए सस्ते प्रशुल्क उपलब्ध कराना।

ii. इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वामियों को अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का उपयोग करके अपने आवास/कार्यालयों में अपने इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने में सक्षम बनाना।

iii. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन दरों पर भूमि के प्रावधान के लिए राजस्व साझाकरण मॉडल शुरू करना।

iv. निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन को बिजली कनेक्शन प्रदान करना।

v. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल भाग इलेक्ट्रिक वाहन प्रशुल्क निर्धारित करना जो 31.03.2025 तक आपूर्ति की औसत लागत से अधिक नहीं होगी। बैटरी चार्जिंग स्टेशनों पर भी यही प्रशुल्क लागू होगा।

vi. सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट प्रचालकों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन ग्राहकों पर लगाए जा रहे सेवा शुल्क पर उच्चतम सीमा निर्दिष्ट करना ताकि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना में किए गए पूंजीगत निवेश (जीएसटी को छोड़कर) की सेवा संबंधी लागत की प्राप्ति की जा सके। संशोधन में, सौर (पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे) और गैर-सौर घंटों (दिन के शेष भाग के लिए) के दौरान सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिक वाहनों की धीमी एसी चार्जिंग के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली की सीमा क्रमशः 2.50 रुपये प्रति यूनिट और 3.50 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। साथ ही, सौर और गैर-सौर घंटों के दौरान सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिक वाहन की डीसी फास्ट चार्जिंग के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली की अधिकतम सीमा क्रमशः 10 रुपये प्रति यूनिट और 12 रुपये प्रति यूनिट भी विनिर्दिष्ट की गई है।

vii. सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को डिस्कॉम द्वारा आपूर्ति की लागत सौर घंटों के दौरान आपूर्ति की औसत लागत का 0.8 गुना और गैर-सौर घंटों के दौरान आपूर्ति की औसत लागत 1.2 गुना होगी।

(ड.) : सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने और आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. सरकार ने उन्नत मोटर-वाहन प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने और पांच वर्षों की अवधि में 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से मोटर वाहन विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने हेतु भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को स्वीकृति दी है।
- ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को स्वीकृति दी।
- iii. फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य विद्युत वाहनों, इसकी असेंबली/उप-असेम्बली और पुर्जा/उप-पुर्जा का घरेलू स्तर पर विनिर्माण करना है ताकि घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि हो सके।

\*\*\*\*